महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक :– रू0वि0 / सम्ब0 / 2021 / 1906-13 दिनांक –: 27.07.2021

सेवा में,

प्रबन्धक / सचिव / प्राचार्य
अब्दुल्लाह डिग्री कॉलेज,
गभियाई, अलापुर, बदांयू।

विषय–: अब्दुल्लाह डिग्री कॉलेज, गभियाई, अलापुर, बदांयू, मे शिक्षण कार्य के संबध में कारण बताओं नोटिस।

महोदय,

उक्त के सम्बन्ध में कार्यालय के पूर्व पत्र संख्या रू.वि. / सम्ब. / 2021 / 1156–58 दिनांक 02.06.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। वाद संख्या 02742 / 2020 सरकार बनाम नजमुल गिरोहबन्द एवं असामाजिक कियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14(1) में पारित आदेश दिनांक 03.02.2021 के अर्न्तगत अभियुक्त नजमुल पुत्र लुकमान निवासी करबा ककराला, अलापुर की सम्पत्ति को राज्य सरकार के पक्ष में किया गया है। जब्त सम्पत्ति में अभियुक्त का ग्राम गभियाई स्थित अब्दुल्लाह डिग्री कॉलेज भी सम्मिलित पाया गया है। उक्त के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा गठित जाँच समिति की आख्या एवं कार्यपरिषद में लिए गये निर्णय के आलोक में **अब्दुल्लाह डिग्री कॉलेज के वर्तमान प्रकरण में राज्य सरकार के पक्ष में जब्त सम्पत्ति से सम्बन्धित विषय के आलोक में महाविद्यालय को एक कारण बताओं नोटिस जारी किया जाये कि क्यों न उसके आगामी / नवीन सत्र के प्रथम वर्ष के सभी संचालित पाठ्यकमों (बी.ए., बी.कॉम. एव बी.एड.) में प्रवेशों को प्रतिबन्धित कर दिया जाये।**

उक्त के संदर्भ में आपको अवगत कराना है कि माननीय कुलपति जी द्वारा लिये गये निर्णय दिनांक 26.07.2021 के द्वारा आपके महाविद्यालय में संचालित प्रथम वर्ष के पाठ्यकमों (बी.ए., बी.कॉम. एव बी.एड.) में प्रवेश को नवीन सत्र 2021–22 हेतु प्रतिबन्धित कर दिया गया है।

भवदीय,

/

कुलसचिव

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– जिलाधिकारी, बदायूं।
2– क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली–मुरादाबाद मण्डल, बरेली
3– परीक्षा नियन्त्रक।
4– मीडिया प्रभारी।
5– निजी सचिव–कुलपति, माननीय कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
6– प्रभारी, वेबसाइट।
7– एजेन्सी, ऑनलाइन प्रवेश।

27/07/2021

कुलसचिव

महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक :– रू0वि0/सम्ब0/2021/1914 दिनांक –: 27.07.2021

कार्यालय ज्ञाप

वाद संख्या 02742/2020 सरकार बनाम नजमुल गिरोहबन्द एवं असामाजिक कियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14(1) में पारित आदेश दिनांक 03.02.2021 के अर्न्तगत अभियुक्त नजमुल पुत्र लुकमान निवासी कस्बा ककराला, अलापुर, बदायूं की सम्पत्ति को राज्य सरकार के पक्ष में किया गया है। जब्त सम्पत्ति में अभियुक्त का ग्राम गभियाई स्थित अब्दुल्लाह डिग्री कॉलेज भी सम्मिलित पाया गया है। चूंकि उक्त महाविद्यालय विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्राप्त है तथा महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के भविष्य के दृष्टिगत तथा सम्यक् व विधिसम्म्त प्रस्तावित संस्तुति हेतु विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश संख्या रू.वि./सम्ब./2021/356–60 दिनांक 04.03.2021 द्वारा तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। जाँचोपरान्त प्रस्तुत कि गयी आख्या पर कार्यपरिषद के निर्णय के आलोक में माननीय कुलपति जी के आदेश दिनांक 26.07.2021 के द्वारा महाविद्यालय में पठन–पाठन के संचालन हेतु निम्नानुसार तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।

1–प्राचार्य, अब्दुल्लाह डिग्री कॉलेज, अलापुर, बदायूं
2–विश्वविद्यालय नॉमिनी– डॉ0 विमल कुमार (शिक्षा विभाग, वि0वि0 परिसर)
3–क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली–मुरादाबाद मण्डल।

कुलसचिव

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1– उपरोक्त नामित सदस्य।
2– जिलाधिकारी, बदायूं।
3– परीक्षा नियन्त्रक।
4– मीडिया प्रभारी।
5– निजी सचिव–कुलपति, माननीय कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
6– प्रभारी, वेबसाइट।
7– वैयक्तिक सहायक कुलसचिव।

27/07/2021

कुलसचिव